मुख्य वन संरक्षक - लादूराम आदि

दिनांक	आज्ञा पत्र
31.5.24	पत्रावली पेश हुई। आज अधि... । से कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21.6.24 को पेश हो।
21.6.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलान्ट उपस्थित [illegible] 10/1 व 10/6, 15, 16, 17 के नोटिस [illegible] जारी कर दिये गये [illegible] 30 दिवस [illegible] [illegible] 10/1, 10/6, 15, 16, 17 [illegible] जाती है। पत्रावली दिनांक 23.7.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
23.7.24	पत्रावली पेश। [illegible] पत्रावली [illegible] आदेश दिनांक 14.8.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
14.8.24	पत्रावली पेश। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 120/2013

राजस्थान राज्य जरिये
1 मुख्य वन संरक्षक अधिकारी जयपुर राज.।
2 जिला वन अधिकारी जिला सीकर।
3 क्षेत्रीय वन अधिकारी (रेंजर) तह दांतारामगढ़ जिला सीकर राज. जरिये प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय वन अधिकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपीलांट

बनाम

1 लच्छाराम पुत्र श्री लादूराम
2 भागुराम पुत्र श्री चन्द्राराम
3 श्यामलाल पुत्र कनीराम उर्फ कानाराम
4 रतनलाल पुत्र कनीराम उर्फ कानाराम
5 किशनलाल पुत्र कनीराम उर्फ कानाराम
6 मालाराम पुत्र भानाराम
7 मंगलाराम पुत्र भानाराम
8 भागुराम पुत्र हणमान
9 कजोड़मल पुत्र हणमान
10 दानाराम पुत्र हणमान मृत
10/1 अर्जुन पुत्र स्व. दानाराम
10/2 महोदव पुत्र स्व. दानाराम
10/3 गुलाबी पुत्री स्व. दानाराम
10/4 सजना पुत्री स्व. दानाराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10/5 मनभरी पुत्री स्व. दानाराम
10/6 शिमला पुत्री स्व. दानाराम
11 गोपीराम पुत्र भींवाराम
12 बन्नाराम पुत्र भींवाराम
13 धुड़ाराम पुत्र भींवाराम
14 बन्नाराम पुत्र भींवाराम
15 नारायणलाल पुत्र श्री पदमाराम
16 मूलचन्द पुत्र प्रहलाद
समस्त जाति बलाई निवासीगण दांतला, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
17 तहसीलदार दांतारामगढ़ सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध डिक्री व निर्णय दिनांक 31.01.2013
अदालत उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ सीकर
बउनवानी दावा लच्छाराम आदि बनाम राजस्थान
राज्य आदि दावा संख्या 03/2007 अपील अन्तर्गत
धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री विद्याधर सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरजभान सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 14.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 03/2007 में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्टस ने एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा वाके ग्राम दांतला का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील आदेश 41 नियम 3 ए जा.दी के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादग्रस्त कृषि भूमियां सर्वप्रथम 1966 में राज्य सरकार के राजस्थान विभाग की विज्ञप्ती संख्या–एफ7(68) रा.व. 66 दिनांक 08.12.1966 द्वारा रक्षित वन घोषित कर दी थी राज्य सरकार द्वारा उक्त विज्ञप्ती जारी करने के पूर्व राजस्थान वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिवत सुनवाई व अन्य समस्त प्रकिया अपनाने के बाद पुनः विज्ञप्ती कमांक एफ 2 (15) राज/8/1981 में उक्त भूमियां रक्षित घोषित की गई है जो वन विभाग की रक्षित वन भूमियां है तथा इसके पश्चात वन विभाग के अधिकार व कब्जे में चली आ रही है। इसके पश्चात वादग्रस्त कृषि भूमियों की राजस्व अभिलेख की खातेदारी में रेस्पोडेन्ट वादीगण का नाम दर्ज होने से रेस्पोडेन्ट/वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है तथा नहीं तहसीलदार व कलेक्टर, सीकर को उक्त भूमियां आवंटित की जा सकती है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत वादग्रस्त कृषि भूमियों के सम्बन्ध में उक्त विज्ञप्ती जारी होने के पश्चात खातेदारी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते है। रेस्पोडेन्ट/वादीगण का वादग्रस्त कृषि भूमियों पर उनके कथनानुसार वर्षात से खढढे पड़ जाने की वजह से कब्जा काश्त मौके पर न होना दावा व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

रेस्पोडेन्ट/वादीगण की साक्ष्य में प्रमाणित है उसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने बिना किसी अधिकार के वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी व कब्जा काश्त रेस्पोडेन्ट/वादीगण का मानकर तनकी संख्या 1 का निर्माण व डिकी रेस्पोडेन्ट/वादीगण के पक्ष में करने में कानूनी एवं वाक्याती गलती की है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का सही तरीके से अध्ययन व विश्लेषण नहीं कर तनकी संख्या 2 ता 4 का अपीलकर्ता के विरूद्ध करने में कानूनी गलती की है। अपीलकर्तागण ने वादग्रस्त कृषि भूमियों को वन संरक्षित भूमि घोषित करने हेतु विधिवत जारी विज्ञप्ती को विचारण न्यायालय में पेश की है जिसे विचारण न्यायालय ने दरगुजर कर तनकी संख्या 2 व 3 का निर्णय दिया गया जो निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट पीटीशन संख्या 202/95 निर्णय दिनांक 12.12.1996 में प्रतिपादित सिद्धान्तों की अनदेखी कर मानमाने तरीके से निर्णय पारित किया हैं विचारण न्यायालय को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार द्वारा गजट नोटीफिकेशन जारी की गई इन अधिनियम के प्रावधानों के तहत वादग्रस्त कृषि भूमियों को वन भूमि घोषित की गई है उक्त अधिनियम की धारा 2 के प्रावधानों के तहत फोरेस्ट भूमि रिजर्व होने के पश्चात बिना केन्द्रीय सरकार की अनुमति के अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग व उपभोग में लिया जाना कानून वर्णित है। जिसके सम्बंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत दावा को सुनकर निर्णय व डिकी पारित करने का कानूनन क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार नहीं है आदेश जैर अपील प्रारम्भ से ही शुन्य व अवैध है उसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों की अवहेलना कर अपने अधिकार क्षेत्र के विरूद्ध निर्णय व डिकी पारित की गई है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण राज्य सरकार के वन विभाग के अधिकारी है जो लोक सेवक है जिनके विरूद्ध विचारण न्यायालय में दावा दायर करने के पूर्व धारा 80 जा.दि. के प्रावधानों के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक है जिसके संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलकर्तागण/प्रतिवादीगण के विधिवत जवाबदावा में आपत्ति प्रस्तुत की है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जिसके सम्बन्ध में विचारण न्यायालय ने कोई तनकी कायम कर निर्णय पारित नहीं किया गया है। जानकारी से अन्दर मियाद अपील आदेश 41 नियम 3 ए जा.दी के आवेदन के साथ प्रस्तुत की जा रही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित आराजियात वादीगण के नाम से जमाबंदी में चली आ रही है। वकील प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि उक्त विवादित भूमियां वन विभाग के नाम से राजस्व अभिलेख में चली आ रही हो जबकि प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार उक्त भूमियां संवत 2009 से सिवाय चक थी एवं वर्ष 1970 में अलाटमेंट बट्टा नम्बर मानते हुए तरमीम हुई है उसके पश्चात लेकर वर्तमान जमाबंदी के खसरा नम्बर अनुसार वादीगण के नाम से चली आ रही है जिन्हें निरस्त करवाने हेतु वन विभाग द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में चैलेंज नहीं किया है। विवादित आराजियात को वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करने में प्रतिवादीगण विफल रहे है जबकि वादीगण को अलाटमेंट के पश्चात वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में अंकन चला आ रहा है। उक्त राजस्व अभिलेख के अंकन/अलाटमेंट को निरस्त/दुरुस्त करवाने का वन विभाग द्वारा क्या प्रयास किये गये इसका पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विवादित आराजियात वादीगण के नाम से जमाबंदी में चली आ रही है। वकील प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि उक्त विवादित भूमियां वन विभाग के नाम से राजस्व अभिलेख में चली आ रही हो जबकि प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार उक्त भूमियां संवत 2009 से सिवाय चक थी एवं वर्ष 1970 में अलाटमेंट बट्टा नम्बर मानते हुए तरमीम हुई है उसके पश्चात लेकर वर्तमान जमाबंदी के खसरा नम्बर अनुसार वादीगण के नाम से चली आ रही है जिन्हें निरस्त करवाने हेतु वन विभाग द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में चैलेंज नहीं किया है। विवादित आराजियात को वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करने में प्रतिवादीगण विफल रहे है जबकि वादीगण को अलाटमेंट के पश्चात वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में अंकन चला आ रहा है। उक्त राजस्व अभिलेख के अंकन/अलाटमेंट को निरस्त/दुरूस्त करवाने का वन विभाग द्वारा क्या प्रयास किये गये इसका पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 14.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन ~~राजस्व~~ अपील प्राधिकारी,
सीकर